

सामान्य व्यापार लाइसेंस (जीटीएल) के आवेदन हेतु चेकलिस्ट

नहीं	आवश्यकताएं	हां/नहीं	टिप्पणी
1	कंपनी लेटरहेड में जीटीएल के लिए आवेदन।		
2	विधिवत भरा हुआ फॉर्म “सी”।		
3	पिछला जी.टी.एल. प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)		
4	कक्षा का प्रमाण पत्र		
5	कार्गो जहाज सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र		
6	रजिस्ट्री का अनंतिम प्रमाण पत्र। रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र।		
7	सर्वेक्षण स्थिति रिपोर्ट		
8	योजना की क्षमता / आईटीसी		
9	अनुपालन दस्तावेज़ (DOC)		
10	भारत- कोष भुगतान रसीद, रु. 20,000/- (कॉस्टल), रु. 40,000/- (विश्वव्यापी), रु. 40,000/- (तटीय एवं विश्वव्यापी)।		संदर्भ संख्या एवं दिनांक
11	जी.टी.एल. में संशोधन (स्वामित्व परिवर्तन के अलावा) रु. 10,000/-		

(यदि अनुपालन किया गया हो तो 'टिक' लगाएं। यदि नहीं तो 'X' लगाएं। **यदि लागू नहीं है तो स्पष्ट करें**)

कृपया ध्यान दें कि दस्तावेजों को हार्ड कॉपी के साथ-साथ सॉफ्ट कॉपी में एकल पीडीएफ फाइल में ईमेल आईडी regn.mum-mmd@gov.in और mumbai-mmd.@gov.in पर जमा करना आवश्यक है।

नोट: - चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न/संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए। बिना पूर्वोक्त सत्यापन और मुहर के कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।